

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सि.अ.(वाणि.बौ.सं.अनु.-पेटेंट) 20/2024

स्टार साइंटिफिक लिमिटेड

.....अपीलार्थी

द्वारा: सुश्री अनुराधा सल्होत्रा, श्री निखिल शर्मा, सुश्री शारिका विज्ञ और सुश्री विजय लक्ष्मी, अधिवक्तागणों के साथ श्री अनिरुद्ध बाखरू।

मो0 : 9811068018

ईमेल:litigation@rahulchaudhry.com

बनाम

पेटेंट और डिजाइनों नियंत्रक

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री हरीश वैद्यनाथन शंकर, सरकारी स्थायी अधिवक्ता, श्री श्रीश कुमार मिश्रा और श्री अलेक्जेंडर मथाई पैकाडे, अधिवक्तागणों के साथ

(मो0): 9810788606

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति श्री मिनी पुष्करना

निर्णय

30.07.2024

न्या. मिनी पुष्करना:

1. वर्तमान अपील पेटेंट अधिनियम, 1970 ("पेटेंट अधिनियम") की धारा 117 क के तहत दायर की गई है, जिसमें पेटेंट और डिजाइन नियंत्रक ("नियंत्रक") द्वारा 18 दिसंबर, 2023 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। धारा 15 के तहत *पेटेंट आवेदन संख्या 202017011947* को पेटेंट का अनुदान पेटेंट अधिनियम।

2. वर्तमान मामले के लिए प्रासंगिक तथ्य इस प्रकार हैं:

2.1. अपीलकर्ता ने राष्ट्रीय चरण *पेटेंट आवेदन सं. 202017011947*, भारतीय पेटेंट कार्यालय, नई दिल्ली (पेटेंट आवेदन) के समक्ष *"उत्प्रेरक दहन के लिए रचना, तरीके और उपकरण"* ("विषय पेटेंट") शीर्षक से, जो पेटेंट सहयोग संधि ("पे.स.सं.") आवेदन संख्या पीसीटी/एयू 2018/050895, दिनांक 22 अगस्त, 2018 पर आधारित था।

2.2. पेटेंट आवेदन ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन मिश्रणों के उत्प्रेरक दहन से संबंधित है।

2.3. 25 जून, 2021 को परीक्षा के लिए अनुरोध दायर किया गया था। इसके अनुसार, पेटेंट और डिजाइन नियंत्रक ने 23 अगस्त, 2021 को प्रथम परीक्षण रिपोर्ट ("प्र.प.रि.") जारी की।

2.4. अपीलकर्ता ने विद्वान नियंत्रक द्वारा उठाई गई आपत्तियों का जवाब देते हुए सहायक दस्तावेजों के साथ 23 फरवरी, 2022 को प्र.प.रि. को विस्तृत

जवाब दाखिल किया। अपीलकर्ता ने दो स्वतंत्र दावों के साथ दावों की कुल संख्या को 1-53 से 1-22 में संशोधित किया।

2.5. इसके बाद, 23 नवंबर, 2023 को, विद्वान नियंत्रक ने एक सुनवाई नोटिस जारी किया, जिसमें पेटेंट आवेदन में सुनवाई 08 दिसंबर, 2023 को तय की गई। हालाँकि, अपीलकर्ता के पेटेंट अटॉर्नी ने सुनवाई में भाग नहीं लिया, अपीलकर्ता के निर्देशों की अनुपस्थिति में, और न ही उक्त सुनवाई को स्थगित करने की मांग की गई थी।

2.6 अपीलार्थी के पेटेंट अटॉर्नी को 15 दिसंबर, 2023 को विद्वान नियंत्रक के कार्यालय से एक कॉल प्राप्त हुआ, जिसमें 08 दिसंबर, 2023 को सुनवाई में भाग नहीं लेने का कारण मांगा गया। विद्वान नियंत्रक ने पेटेंट अटॉर्नी को इसका कारण बताते हुए एक ई-मेल जारी करने का निर्देश दिया।

2.7 तदनुसार, अपीलार्थी के पेटेंट अटॉर्नी ने 15 दिसंबर, 2023 और 18 दिसंबर, 2023 को ई-मेल भेजे, जिसमें विद्वान नियंत्रक को सूचित किया गया कि अपीलार्थी की वित्तीय कठिनाइयों के कारण, 08 दिसंबर, 2023 को सुनवाई में भाग नहीं लिया जा सका। अपीलार्थी के पेटेंट अटॉर्नी ने भी पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पेटेंट आवेदन के निपटारे की मांग की। यह भी अनुरोध किया गया कि यदि विद्वान नियंत्रक द्वारा किसी और जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो उसे पेटेंट अटॉर्नी को सूचित किया जा सकता है।

2.8 विद्वान नियंत्रक ने 18 दिसंबर, 2023 का विवादित आदेश पारित किया, जिसके तहत उन्होंने अपीलकर्ता के पेटेंट आवेदन को अस्वीकार कर दिया।

2.9 विवादित आदेश की प्राप्ति के बाद, अपीलार्थी के पेटेंट अधिवक्ता ने 1 मार्च, 2024, 5 मार्च, 2024, 6 मार्च, 2024 और 12 मार्च, 2024 को ई-मेल भेजे, जिससे विद्वान नियंत्रक से पेटेंट आवेदन को फिर से शुरू करने का अनुरोध किया गया। अपीलकर्ता ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के समक्ष 5 मार्च, 2024 को एक अभ्यावेदन भी दायर किया। चूंकि अपीलकर्ता को उपरोक्त ई-मेल और अभ्यावेदन का कोई जवाब नहीं मिला था, इसलिए वर्तमान अपील दायर की गई है।

3. अपीलकर्ता की ओर से निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं:

3.1 23 फरवरी, 2023 को एक विस्तृत जवाब दाखिल किया गया था, जिसमें प्र.प.रि. में उठाई गई प्रत्येक आपत्ति को संबोधित किया गया था, जिस पर अंतिम आदेश पारित करते समय विचार किया जाना चाहिए था।

3.2 पेटेंट अधिनियम की धारा 14 और पेटेंट नियम, 2003 ("पेटेंट नियम") के नियम 28(5) पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा रखा गया है कि विद्वान नियंत्रक अभिलेख पर अपीलकर्ता की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करने के लिए बाध्य था।

3.3 सुनवाई में अपीलकर्ता ने भाग नहीं लिया था, केवल इसलिए अपीलकर्ता द्वारा आवेदन का परित्याग नहीं माना जा सकता है। अपीलकर्ता द्वारा संप्रेषण स्पष्ट था कि अपीलकर्ता द्वारा सामना की जा रही वित्तीय कठिनाइयों के कारण सुनवाई में भाग नहीं लिया जा सका। इसके अलावा, अपीलकर्ता ने पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदन के निपटान का अनुरोध किया था।

3.4 असावधानी और सर्वर उन्नयन के कारण अपीलकर्ता अपने पेटेंट अटॉर्नी से संबंधित ईमेल प्राप्त करने में चूक गया और सुनवाई स्थगित करने के लिए समय पर निर्देश नहीं दे सका। प्रासंगिक निर्देशों के अभाव में अपीलकर्ता के पेटेंट अटॉर्नी सुनवाई में शामिल नहीं हुए।

3.5 नौ अन्य देशों में अपीलकर्ता के पक्ष में पेटेंट प्रदान किया गया था, जो पेटेंट प्रदान करने के लिए एक प्रासंगिक विचार है।

3.6 विद्वान नियंत्रक द्वारा उठाई गई आपत्तियों को दूर करने के लिए, विद्वान नियंत्रक के समक्ष अपीलकर्ता द्वारा संशोधित दावे प्रस्तुत किए गए थे। इस प्रकार, मामले का निर्णय गुण-दोष के आधार पर एक तर्कपूर्ण आदेश द्वारा किया जाना चाहिए था।

3.7 पेटेंट नियमों के नियम 28 के अनुसार, अपीलकर्ता पंद्रह दिनों के भीतर लिखित निवेदन दायर करने का हकदार था। हालाँकि, विद्वान नियंत्रक ने दस

दिनों के भीतर आदेश पारित कर दिया, जब लिखित प्रस्तुतियाँ दाखिल करने का समय भी समाप्त नहीं हुआ था।

4. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की गई हैं:

4.1. वर्तमान अपील गलत धारणा पर आधारित है। 18 दिसंबर, 2023 का विवादित आदेश पेटेंट अधिनियम और नियमों के आदेश के अनुरूप पारित किया गया था।

4.2 अपीलकर्ता ने इस न्यायालय से गलत मंसूबे से संपर्क किया है और न्यायालय को गुमराह करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए हैं। एक ओर, अपीलकर्ता ने कहा है कि वह संबंधित समय में गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहा था। दूसरी ओर, अपीलकर्ता ने कहा है कि असावधानी और सर्वर उन्नयन के कारण अपीलकर्ता अपने पेटेंट अटॉर्नी से संबंधित ईमेल प्राप्त करने से चूक गया। हालाँकि, वित्तीय कठिनाई का आरोप लगाने के अलावा, विद्वान नियंत्रक को भेजे गए ईमेल में कोई अन्य कारण नहीं दिया गया था।

4.3 अपीलकर्ता निर्धारित सुनवाई में भाग न लेने के वास्तविक कारण के बारे में बताने में विफल रहा है, चाहे वह वित्तीय कठिनाई के कारण हो, या अनजाने में/सर्वर के उन्नयन के कारण हो। यदि यह वित्तीय कठिनाई थी, तो इसकी पुष्टि में कोई सबूत पेश नहीं किया गया है। अपीलकर्ता यह बताने में विफल रहा है कि तीन महीनों में उसकी वित्तीय स्थिति में कैसे सुधार हुआ है।

4.4 अपीलकर्ता ने कहा है कि यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक अग्रणी हाइड्रोजन अनुसंधान और विकास कंपनी है और इस विषय का पेटेंट पहले ही विभिन्न देशों में दिया जा चुका है। इसे देखते हुए, वितीय स्थिति का बहाना झूठा और भ्रामक है।

4.5 यदि यह सच था तो अपीलकर्ता ने सर्वर उन्नयन का कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।

4.6. प्र.प.रि. (प्रथम परीक्षण रिपोर्ट) को अपीलकर्ता द्वारा दिए गए उत्तर में कई संशोधन थे, जो पर्याप्त थे। इस प्रकार, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि सुनवाई नोटिस की आपत्तियों का जवाब दिए बिना प्र.प.रि.का जवाब पर्याप्त होगा।

4.7 अपीलकर्ता के पेटेंट अटॉर्नी द्वारा 15 दिसंबर, 2023 और 18 दिसंबर, 2023 को किए गए संचार से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि अपीलकर्ता का आवेदन पर आगे वाद चलाने का कोई इरादा नहीं था। इस प्रकार, विषय आवेदन को परित्याग करना एक सचेत निर्णय था।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागणों को सुना है और अभिलेख का अध्ययन किया है।

6. प्रारम्भ में, इस न्यायालय ने नोट किया कि अपीलकर्ता ने विद्वान नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में भाग नहीं लिया और दो ईमेल भेजे, जिसमें कहा

गया कि अपीलकर्ता वितीय संकट के कारण सुनवाई के लिए अनुपलब्ध है।
 अपीलार्थी के पेटेंट अधिवक्ता द्वारा विद्वान नियंत्रक को 15 दिसंबर, 2023
 को ईमेल भेजा गया जो इस प्रकार है:

"XXX XXX XXX

आदरणीय महोदय,

यह संबंधित विषय से आगे की बात है।

यह ईमेल 08 दिसंबर 2023 को 11:00 बजे(30 मिनट के लिए) निर्धारित
 उपरोक्त संदर्भित पेटेंट आवेदन के लिए पेटेंट अधिनियम की धारा 14 के
 तहत सुनवाई के संदर्भ में है। हमें अपने मुवक्किल से सुनवाई में भाग नहीं
लेने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, क्योंकि मुवक्किल वितीय संकट की स्थिति से
पीड़ित है और उपरोक्त वितीय स्थितियों को देखते हुए वर्तमान आवेदन के
अभियोजन के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ है। तदनुसार, हम निर्धारित
सुनवाई के लिए अनुपलब्ध थे।

इसके अलावा, आवेदक भारतीय पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार
वर्तमान पेटेंट आवेदन का निपटान चाहता है।

अगर एल. डी. नियंत्रक को इस संबंध में किसी भी और
जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, कृपया हमें इसके बारे में सूचित
करें।

साभार,

कोलेश्वर महतो

(पेटेंट अभिकर्ता पंजी. सं. -आई. एन./पी. ए.-4110)

आवेदक के लिए अभिकर्ता "

(जोर दिया गया)

7. 15 दिसंबर, 2023 के उपरोक्त ईमेल के बाद 18 दिसंबर, 2023 का
 एक और ईमेल आया, जो इस प्रकार है:

"XXX XXX XXX

आदरणीय महोदय,

यह संबंधित विषय से आगे की बात है।

यह ईमेल 08 दिसंबर 2023 को 11:00 बजे (30 मिनट के लिए) निर्धारित उपरोक्त संदर्भित पेटेंट आवेदन के लिए पेटेंट अधिनियम की धारा 14 के तहत सुनवाई के संदर्भ में है। हमें अपने मुवक्किल से सुनवाई में भाग नहीं लेने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, क्योंकि मुवक्किल वित्तीय संकट की स्थिति से पीड़ित है और उपरोक्त वित्तीय स्थितियों को देखते हुए वर्तमान आवेदन के अभियोजन के साथ आगे बढ़ने में असमर्थ है। तदनुसार, हम निर्धारित सुनवाई के लिए अनुपलब्ध थे।

इसके अलावा, आवेदक भारतीय पेटेंट अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान पेटेंट आवेदन का निपटान चाहता है।

अगर विद्वान नियंत्रक को इस संबंध में किसी भी और जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, कृपया हमें इसके बारे में सूचित करें।

साभार,

कोलेश्वर महतो

(पेटेंट अभिकर्ता पं.सं.-आई. एन./पी. ए.-4110)

आवेदन के लिए अभिकर्ता "

(जोर दिया गया)

8. उपरोक्त ईमेल के आधार पर, विद्वान नियंत्रक ने अपीलकर्ता के पेटेंट आवेदन का निम्नलिखित तरीके से निपटान किया:

"XXX XXX XXX

निर्णय

आवेदक के लिए अभिकर्ता को 23.11.2023 पर सुनवाई का नोटिस दिया गया है और यह दिनांक 08.12.2023 पर निर्धारित किया गया था। आवेदक के अभिकर्ता उपरोक्त में उल्लिखित निर्धारित तिथि पर पूर्व निर्धारित सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए, सुनवाई नोटिस में उठाई गई सभी आपत्तियां अभी भी लंबित हैं।

आदेश

इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और प्रस्तुतियों के आधार पर, मैं पेटेंट अधिनियम, 1970 (संशोधित) की धारा 15 के अनुसार पेटेंट के अनुदान के लिए इस तत्काल पेटेंट आवेदन संख्या 202017011947 के साथ आगे बढ़ने से इनकार करता हूँ।

18/12/2023”

(जोर दिया गया)

9. उपरोक्त आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान नियंत्रक ने पेटेंट अधिनियम की धारा 15 के तहत इस आधार पर निर्णय दिया कि अपीलकर्ता पूर्व निर्धारित सुनवाई में शामिल नहीं हुआ था। इस प्रकार, यह मानते हुए कि सुनवाई में उठाई गई सभी आपत्तियां बकाया रहीं, अपीलकर्ता के पेटेंट आवेदन को खारिज कर दिया गया।

10. विद्वान नियंत्रक द्वारा 18 दिसंबर, 2023 को पारित निर्णय को पढ़ने से पता चलता है कि विद्वान नियंत्रक ने कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया और इस बात का विश्लेषण नहीं किया कि अपीलकर्ता पेटेंट देने का हकदार क्यों नहीं था। विवादित आदेश अपीलकर्ता के पक्ष में पेटेंट देने की आपत्तियों के किसी भी विश्लेषण और अपीलकर्ता के आवेदन को अस्वीकार करने के कारण से पूरी तरह से रहित है।

11. केवल इसलिए कि अपीलकर्ता सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ, पेटेंट अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्णय पारित करने का आधार नहीं हो सकता है। जब अपीलकर्ता पहले ही प्र.प.रि. को अपना विस्तृत जवाब दाखिल कर चुका

था, तो विद्वान नियंत्रक को प्र.प.रि. रिपोर्ट पर अपीलकर्ता के जवाब से निपटने के लिए एक बोलने वाला आदेश पारित करने का आदेश दिया गया था। तथापि, आक्षेपित आदेश अपीलकर्ता द्वारा प्र.प.रि. रिपोर्ट पर अपने उत्तर के माध्यम से किए गए विस्तृत प्रस्तुतियों या उसके साथ दाखिल किए गए दस्तावेजों का कोई संदर्भ नहीं देता है।

12. यह न्यायालय प्रत्यर्थी द्वारा की गई प्रस्तुतियों से सहमत नहीं है कि अपीलकर्ता ने अपने पेटेंट आवेदन को परित्याग करना का एक सचेत निर्णय लिया, विशेष रूप से जब अपीलकर्ता पहले ही प्र.प.रि. रिपोर्ट का विस्तृत जवाब दाखिल कर चुका था। इसके अलावा, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी को लिखे गए ईमेल को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि हालांकि अपीलकर्ता विद्वान नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपीलकर्ता द्वारा पेटेंट आवेदन के निपटारे का अनुरोध किया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है, जहां यह कहा जा सके कि अपीलकर्ता की ओर से एक सचेत कार्य किया गया था, जो आवेदन को परित्याग करना के इरादे को प्रकट करेगा। इस प्रकार, **फेरिद अल्लानी बनाम भारत संघ और अन्य**, के मामले में यह निम्नलिखित रूप में नोट किया गया था:

“XXX XXX XXX

41. याचिकाकर्ता द्वारा यह आग्रह किया गया है कि परित्याग के लिए आवेदक की ओर से एक सचेत कार्य की आवश्यकता है जो आवेदन को

परित्याग करने के उसके व्यक्ति इरादे को प्रकट करेगा और ऐसा कोई अनुमान नहीं हो सकता है जैसा कि तत्काल मामले के तथ्यों में प्रत्यर्थागणों द्वारा तैयार किया गया है।

42. मेरा ध्यान ब्राउनिंग मैनुफैक्चरिंग कंपनी बनाम ब्रदर्स आई एन सी, 134 यू. एस. पी. क्यू. 331 में टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया गया है। जिसमें यह देखा गया कि परित्याग का प्रश्न मूलतः इरादे का प्रश्न है, भले ही वह कार्य या आचरण द्वारा व्यक्ति या निहित हो। परित्याग कभी भी अनुमानित नहीं होता।

XXX XXX XXX”

(जोर दिया गया)

13. इस पहलू पर, कि कब किसी आवेदन को त्याग दिया गया माना जाना चाहिए, यह न्यायालय टेलीफोनाक्टिबोलागेट एल. एम. एरिक्सन (प्रकाशक) बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में ने निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया है:

“XXX XXX XXX

13. उपरोक्त प्रावधानों के सामूहिक अध्ययन से पता चलता है कि आवेदक को आवेदन की जांच के परिणामस्वरूप सामने आने वाली रिपोर्टों में उठाई गई आपत्तियों से निपटना आवश्यक है। क्या आवेदक ने आपत्तियों को संतोषजनक रूप से पूरा किया है, यह एक और मामला है। धारा 21 के संदर्भ में एक आवेदक को केवल तभी अपना आवेदन "त्याग" माना जाना चाहिए जब ऐसा आवेदक उस पर या इस अधिनियम के तहत लगाई गई सभी आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है। इसकी तुलना धारा 15 से की जा सकती है जिसमें नियंत्रक की संतुष्टि के बारे में बताया गया है। अधिनियम की धारा 15 निम्नानुसार है:

“15. कुछ मामलों में आवेदनों को अस्वीकार करने या संशोधित करने की नियंत्रक की शक्ति। जहां नियंत्रक का यह समाधान हो जाता है कि आवेदन या उसके अनुसरण में दाखिल कोई विनिर्देश या कोई अन्य दस्तावेज इस अधिनियम या इसके

अधीन बनाए गए किसी नियम की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है, वहां नियंत्रक आवेदन को अस्वीकार कर सकता है या आवेदन पर आगे बढ़ने से पूर्व आवेदन, विनिर्देश या अन्य दस्तावेजों में, जैसा भी मामला हो, अपने समाधानप्रद रूप में संशोधन करने की अपेक्षा कर सकता है और ऐसा न करने पर आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।

14. जहां एक परीक्षा रिपोर्ट के जवाब में, एक आवेदक निर्धारित समय के भीतर उसमें उठाई गई आपत्तियों को पूरा करने के माध्यम से कुछ भी नहीं करता है, और उस उद्देश्य के लिए समय बढ़ाने की मांग नहीं करता है, तभी यह कहा जा सकता है कि इस तरह के आवेदन को "परित्यक्त माना जाना चाहिए"। यदि उसने जवाब दिया है लेकिन ऐसा जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो आगे कोई अवसर दिए जाने के बाद भी, अधिनियम की धारा 14 का पालन करने के बाद नियंत्रक को धारा 15 के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।

15. जैसा कि फेरिद अल्लानी में बताया गया है कि "परित्याग" के लिए याचिकाकर्ता की ओर से एक सचेत कार्य की आवश्यकता होती है जो आवेदन को परित्याग करना के इरादे को प्रकट करेगा। उस निर्णय में अधिनियम की धारा 80 और पेटेंट नियमों के नियम 138 का भी उल्लेख किया गया है, जो नियंत्रक को किसी आवश्यकता के अनुपालन हेतु समय बढ़ाने के लिए विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है। तत्काल मामले में याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर लिखित रूप में परीक्षण रिपोर्ट में निर्धारित प्रत्येक आपत्ति का जवाब दिया। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आपत्तियों का जवाब देने में विफल रहा और इसलिए, अधिनियम के तहत उस पर लगाई गई आवश्यकताओं का पालन नहीं किया। दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 21 (1) के संदर्भ में "परित्याग" की कल्पित धारणा को आकर्षित करने के लिए मूल तथ्यात्मक शर्त, तत्काल मामले में मौजूद नहीं थी।

16. महत्वपूर्ण रूप से, याचिकाकर्ता का अपना आवेदन न परित्याग करना का इरादा 22 सितंबर, 2008 के अपने जवाब में स्पष्ट था, जिसमें उसने अनुरोध किया था कि यदि नियंत्रक अपना पेटेंट देने के लिए इच्छुक नहीं है, तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है। इस तरह के अवसर की परिकल्पना धारा 14 में ही स्पष्ट रूप से की गई है। इसके लिए आगे अधिनियम की धारा 80 और पेटेंट नियमों के नियम 129 में प्रावधान

किया गया है। उपरोक्त प्रावधानों पर चर्चा करते हुए, फेरिद अल्लानी मामले में इस न्यायालय ने कहा कि नियंत्रक का कर्तव्य है कि वह किसी भी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने से पहले एक आवेदक की सुनवाई करे, जिससे पेटेंट के पंजीकरण के लिए एक आवेदक के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

17. अंत में, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के इस तर्क में योग्यता पाता है कि यह अभिनिर्धारित करके कि याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 21(1) के संदर्भ में उसमें उल्लिखित तीन कारणों से अपना आवेदन छोड़ दिया है, पेटेंट नियंत्रक ने प्रभावी रूप से पेटेंट के लिए आवेदन को खारिज कर दिया है। ऐसा आदेश एक ऐसा आदेश है जो अधिनियम की धारा 15 से संबंधित है। हालांकि, यह बिना कारण बताए किया गया है कि क्यों याचिकाकर्ता द्वारा आपतियों पर दायर जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को धारा 14 के तहत सुनवाई का अवसर देने से इनकार करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। चूंकि अधिनियम की धारा 15 के तहत कोई आदेश पारित नहीं किया गया, इसलिए याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 117क के तहत अपील दायर करने से भी वंचित कर दिया गया है।

18. उपरोक्त कारणों से, यह न्यायालय प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित 10 अगस्त, 2008 के विवादित आदेश को रद्द कर देता है। याचिकाकर्ता के आवेदन को फाइल में पुनर्स्थापित किया जाएगा और कानून के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा निपटा जाएगा। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 को पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने पेटेंट देने के लिए कोई मामला नहीं बनाया है, तो वह अधिनियम की धारा 15 के तहत एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करेगा। बेशक, ऐसा करने से पहले, याचिकाकर्ता को अधिनियम की धारा 14 के तहत किए गए अनुरोध के संदर्भ में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

XXX XXX XXX”

(जोर दिया गया)

14. इसी तरह, **मर्क सेरोनो एस. ए. बनाम भारत संघ और अन्य**, के मामले में इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

“XXX XXX XXX

14. यह उपरोक्त निर्णय के बाद आता है कि एक आवेदन को केवल उन मामलों में ही त्याग दिया जा सकता है जहां आवेदक अपने आवेदन को आगे बढ़ाने में विफल रहता है और लापरवाही करता है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने प्र.प.रि. और द्वा.प. रि. में उठाई गई आपत्तियों के संबंध में स्पष्टीकरण प्रदान किया है। यह प्रश्न कि क्या स्पष्टीकरण में कोई योग्यता है या नहीं, प्रत्यर्थी संख्या 2 के निर्णय का विषय होगा। दिनांक 13.08.2008 के विवादित आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि याचिकाकर्ता के अभिकर्ता और प्रत्यर्थी सं. 3 के बीच कुछ चर्चाएं हुई थीं, जिन्हें प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा सुना गया था।

2. इन परिस्थितियों में, प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए अधिनियम की धारा 21(1) का सहारा लेकर उठाए गए मुद्दों पर निर्णय से बचना संभव नहीं होगा। जैसा कि टेलीफोनकटीबोलागेट (पूर्वोक्त) में संकेत दिया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 2 के लिए उपलब्ध उचित तरीका अधिनियम की धारा 15 के तहत एक आख्यापक आदेश पारित करना होगा।

XXX XXX XXX”

(जोर दिया गया)

15. कानून की स्थिति को देखते हुए, जैसा कि ऊपर यहाँ चर्चा की गई है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ता ने अपना आवेदन छोड़ दिया था। इसलिए, भले ही अपीलकर्ता सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ हो, फिर भी यह विद्वान नियंत्रक पर बाध्यकारी था कि वह प्र.प.रि. के अपने उत्तर में अपीलकर्ता की प्रस्तुतियों और उक्त उत्तर के साथ दाखिल किए गए दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करे।

16. विद्वान नियंत्रक द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अपीलार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों पर विस्तृत प्रतिक्रिया पर विचार करने में पूरी तरह से विफल रहता है। विद्वान नियंत्रक द्वारा पारित विवादित आदेश में अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए आपत्तियों पर विस्तृत प्रतिक्रिया पर विचार करने में पूरी तरह से

विफल रहा है, जैसा कि प्र.प.रि. के उत्तर में निहित है। आक्षेपित आदेश पारित करते समय, विद्वान नियंत्रक को अपीलकर्ता की प्रतिक्रिया पर विचार करना चाहिए था।

17. इस प्रकार, एफएमसी कं. बनाम पेटेंट नियंत्रक के मामले में, सि.अ. (वाणि.बौ.सं.अनु.-पेटेंट) 482/2022 में 19 अक्टूबर, 2022 के निर्णय में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:

“XXX XXX XXX

19. जो भी हो, अगर आवेदक समय पर लिखित दलीलें दाखिल करने में विफल रहा और विस्तार के लिए अनुरोध को विद्वान सहायक नियंत्रक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, तो विद्वान सहायक नियंत्रक पर भी यह कर्तव्य था कि वह प्र.प.रि. और प्रतिउत्तर में आपत्तियों पर विचार करे. साथ ही सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से दी गई दलीलों पर भी विचार करे और एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करे। वर्तमान मामले में, तर्क को केवल एक पैराग्राफ में समाहित किया गया है और आवेदक द्वारा दायर किए गए विस्तृत प्रतिउत्तर पर विचार करते हुए, यह एक तर्कपूर्ण आदेश नहीं होगा।

XXX XXX XXX”

(जोर दिया गया)

18. मामले का एक और पहलू भी है। विद्वान नियंत्रक यह विचार करने में भी विफल रहा कि विषयगत पेटेंट पहले से ही अन्य देशों के विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में पंजीकृत था, जो विषयगत पेटेंट की पेटेंट किए जाने कि योग्यता के लिए एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इस प्रकार, **ओत्सुका फार्मास्युटिकल कंपनी लिमिटेड बनाम पेटेंट नियंत्रक**, के मामले में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है इस प्रकार है:

“XXX XXX XXX

20. मैं अपीलकर्ता द्वारा उठाए गए एक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण तथ्य पर भी ध्यान देना चाहूंगा कि विषयगत आवेदन में शामिल आविष्कारी कदम को जापान, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया आदि प्रमुख क्षेत्राधिकारों में संबंधित आवेदनों में स्वीकार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप इन सभी क्षेत्राधिकारों में पेटेंट प्रदान किए गए हैं। यह, अपीलकर्ता के अनुसार, वर्तमान आविष्कारों की पेटेंट योग्यता की पुष्टि करता है और इसके द्वारा यह ध्यान में रखा जाना चाहिए था, मैं सहमत हूँ।

XXX XXX XXX”

(जोर दिया गया)

19. उपरोक्त चर्चा से जो स्थिति निकलती है वह यह है कि विद्वान नियंत्रक को एक बोलने वाला आदेश पारित करना चाहिए था, इस तथ्य के बावजूद कि विद्वान नियंत्रक द्वारा निर्धारित सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व नहीं किया गया था। इस संबंध में, पेटेंट नियमों के नियम 28 (5) का संदर्भ दिया जा सकता है, जो निम्नानुसार है:

“XXX XXX XXX

28. पूर्व प्रकाशन द्वारा पूर्वानुमान के मामले में प्रक्रिया।

(1).....

(2).....

(3).....

(4).....

(5) आवेदक को सुनने के बाद, या बिना सुनवाई के यदि आवेदक उपस्थित नहीं हुआ है या उसने सूचित किया है कि वह सुनवाई नहीं करना चाहता है, तो नियंत्रक विनिर्देशन के ऐसे संशोधन को निर्दिष्ट या अनुमति दे सकता है जो वह उचित समझता है और पेटेंट देने से तब तक इनकार कर सकता है जब तक कि इस प्रकार निर्दिष्ट या अनुमत संशोधन ऐसी अवधि के भीतर नहीं किया जाता है जो तय की जा सकती है।

XXX XXX XXX”

(जोर दिया गया)

20. उपरोक्त को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि नियंत्रक पेटेंट आवेदन पर निर्णय लेने के लिए बाध्य है, चाहे वह आवेदक विद्वान नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित हुआ हो या नहीं। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह का निर्णय एक तर्कपूर्ण और बोलने वाले आदेश द्वारा किया जाना चाहिए।

21. **हुहतामाकी ओयज एवं अन्य बनाम पेटेंट नियंत्रक के मामले में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना समीचीन है, जिसमें विद्वान नियंत्रक द्वारा एक तर्कपूर्ण एवं स्पष्ट आदेश पारित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, निम्नलिखित निर्णय दिया गया है:-**

“XXX XXX XXX

12. अतः यह न्यायालय निम्नलिखित निर्देश जारी करने के लिए विवश है:

(i) प्रत्येक आदेश जो या तो

(क) पेटेंट के अनुदान की मांग करने वाले आवेदन को अस्वीकार कर देता है, या

(ख) ऐसे आवेदनों के लिए किसी भी पूर्व-या उत्तर-अनुदान विरोध को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, तर्क दिया जाएगा और कहा जाएगा, और प्रत्येक आपत्ति के साथ व्यवस्थित और क्रमिक रूप से निपटा जाएगा, जिस पर विचार करने की आवश्यकता होती है, चाहे वह प्र.प.रि. में निहित हो, या सुनवाई सूचना, या किसी पूर्व-या उत्तर-अनुदान विरोध में, और कारण प्रदान करेगा कि आपत्ति क्यों कायम है या अस्वीकार की गई है।

(ii) यदि पेटेंट का कोई पूर्व-या उत्तर-अनुदान के बाद विरोध नहीं है, और केवल नियंत्रक के कार्यालय द्वारा, प्र.प.रि. या सुनवाई सूचना में आपत्तियां उठाई जाती हैं, और उसके जवाब में आवेदक का जवाब स्वीकृति के योग्य पाया जाता है, तो भी, पेटेंट देने वाले आदेश में संक्षेप में यह बताना चाहिए कि आवेदक का जवाब क्यों स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इससे किसी भी अनुदान के बाद के प्रतिद्वंद्वी को सुविधा होगी, जो पेटेंट के अनुदान का विरोध करना चाहता है, या पेटेंट दिए जाने के बाद इसे रद्द करने की मांग करता है।

XXX XXX XXX”

(जोर दिया गया)

22. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान नियंत्रक द्वारा पारित 18 दिसंबर, 2023 के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है, और इसे दरकिनार किया जा सकता है। तदनुसार, मामले को नए सिरे से विचार के लिए प्रत्यर्थी को वापस भेज दिया जाता है।

23. चूंकि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने पहले ही विद्वान नियंत्रक के समक्ष निर्धारित सुनवाई में भाग लेने से इनकार कर दिया है, इसलिए यह विद्वान नियंत्रक के विवेक पर होगा कि वह अपीलकर्ता को आगे कोई सुनवाई प्रदान करे। तथापि, विद्वान नियंत्रक अपीलकर्ता को इसमें कोई सुनवाई प्रदान किए बिना मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र है, यदि वह ऐसा करने का निर्णय लेता है।

24. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान मामले में, आक्षेपित आदेश निर्धारित सुनवाई के दस दिनों के भीतर, सुनवाई की तिथि से पंद्रह

दिनों की अवधि समाप्त होने से पहले पारित किया गया था, जिसके भीतर एक आवेदक द्वारा पेटेंट नियमों के नियम 28 (7) के संदर्भ में प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ लिखित प्रस्तुतियाँ दायर की जा सकती हैं, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता इस निर्णय की घोषणा के पांच दिनों की अवधि के भीतर संबंधित दस्तावेजों के साथ अपनी लिखित प्रस्तुतियाँ दायर करने के लिए स्वतंत्र होगा।

25. विद्वान नियंत्रक वर्तमान निर्णय में की गई किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित, कानून के अनुसार, गुण-दोष के आधार पर मामले का निर्णय करेगा। आज से चार महीने की अवधि के भीतर निर्णय तेजी से लिया जाएगा।

26. रजिस्ट्री को वर्तमान आदेश की एक प्रति भारतीय पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के कार्यालय को अनुपालन हेतु ई-मेल आईडी: llc-ipo@gov.in पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

27. वर्तमान अपील का उपरोक्त शर्तों के अंतर्गत निपटान किया जाता है।

(मिनी पुष्करना)
न्यायाधीश

30 जुलाई, 2024
एके/केआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।